राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3884—एक / 15 जिला — अशोक नगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.12.2015	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 472 / अपील / 12—2013 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3.11.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2— मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया है आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वही तथ्य दोहराये गये है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेख किया गया है । उनके द्वारा बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में बिना अभिलेख बुलाये प्रकरण बहस हेतु लगाया गया है । जबकि अपर आयुक्त की आदेश पत्रिका दिनांक 26.8.15 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "अनुविभागीय अधिकारी एव नायव तहसीलदार मुगांवली का अभिलेख प्राप्त " प्रकरण बहस हेतु नियत है तथा अनावेदक की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित है । प्रकरण में आवेदक द्वारा यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि इस न्यायालय से उसको क्या अनुतोष चाहिये ।	

3– अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । इस न्यायालय के आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । प्रकरण दा0 द0 हो ।

सदस्य

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी /2015 नि0 | 3884 | I-15

1. दरयाव सिह पुत्र श्री भुजवल सिंह दांगी निवासी ग्रम लपतौरा परगना मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.।

2. गीताबाई बेबा भूजवल सिंह दागी (मृतक) वैध वारिस–
   1. भागवती बाई पत्नी रघुवीर सिंह दांगी निवासी ग्रम भतोली तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.।
   2. सरजू वाई पत्नी फेरन सिह दांगी ग्रम भाकरई तहसील वीना सागर ।
   3. गुडडी बाई पत्नी शालकराम दांगी ग्रम हॉसल खेडी तहसील वीना जिला सागर म.प्र.।
   4. कमलेश वाई पत्नी विष्णु दांगी ग्रम तमोइया तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.।
   5. मीना वाई पत्नी उम्मेद सिंह ग्रम मालासुनेटी वीना जिला सागर म.प्र. ।

............आवेदकगण

सुनील सिंह यादव ... आज दि. 1-12-15 को ... प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

सुखलाल पुत्र श्री भीकम सिह यादव निवासी ग्रम बावरौद तहसील मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र. ।..........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के अपील प्र0क0 472/12–13 मे पारित आदेश दिनांक 3.11.2015 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण –:

1. यहकि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्रम लपतोरा तहसील मुगावली स्थित भूमि सर्वे क 260 रकवा 9.700 हे. भूमि आवेदक क 2 गीतबाई बेबा भुजवल सिह के नाम पर दर्ज की उक्त भूमि मे से रकवा 5.255 हे. भूमि का आवेदक क 1 द्वारा प्रत्यर्थी ने फर्जी विकय पत्र दर्शाकर ग्रम पंचायत के प्रस्ताव क 2 दिनांक 2.11.04 से अपने नाम का नामांतरण आदेश करा लिया । चूकि राजस्व रिकार्ड मे दरयाव सिंह के नाम पर ही भूमि ही नही थी जिस कारण अनावेदक के नाम का अमल नही हो सका जिस कारण प्रत्यर्थी ने तहसील न्यायालय मे ... किये जाने हेतु आवेदन